रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092024-257080
CG-DL-E-11092024-257080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3531] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946
No. 3531] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

भारी उद्योग मंत्रालय

संशोधन

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 3862(अ).—भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2021 के का.आ. 3946(अ) के माध्यम से अधिसूचित ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के आंशिक आशोधन में, निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी किए जा रहे हैं:-

1. उप-पैरा '3.3.2.2 (V)' को संशोधित किया जाएगा और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। फ़ेम-II स्कीम के समान चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का पालन किया जाएगा। घरेलू मूल्यवर्धन के निर्धारण की पद्धति फ़ेम स्कीम के समान होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी पात्र उत्पाद में घरेलू मूल्यवर्धन को प्रमाणित करेगी।	न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी पात्र उत्पाद में घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणित करेगी।

2. उप-पैरा '3.3.3.2 (V)' को संशोधित किया जाएगा और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। फ़ेम-II स्कीम के समान चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का पालन किया जाएगा। घरेलू मूल्यवर्धन के निर्धारण की पद्धति फ़ेम स्कीम के समान होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी पात्र उत्पाद में घरेलू मूल्यवर्धन को प्रमाणित करेगी।	न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी पात्र उत्पाद में घरेलू मूल्यवर्धन को प्रमाणित करेगी।

[फा.सं. 12(11)/2020-एईआई (29343)]

डॉ. हनीफ़ कुरैशी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

AMENDMENT

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 3862(E).—In partial modification of the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component Industry in India which was notified by the Ministry of Heavy Industries (MHI) vide S.O. 3946(E) dated 23rd September 2021, the following amendments are made with effect from the date of its publication in the Official Gazette:-

1. Sub-paragraph '3.3.2.2 (V)' shall be modified and read as under:

Existing Para	Amended Para
Minimum 50% domestic value addition will be required. Phased Manufacturing Programme similar to FAME-II Scheme will be followed. Methodology of determination of domestic value addition will be same as in FAME scheme. Testing Agency of MHI will certify domestic value addition in the eligible product.	Minimum 50% domestic value addition (DVA) will be required. Testing Agency of MHI will certify DVA in the eligible product.

2. Sub-paragraph '3.3.3.2 (V)' shall be modified and read as under:

Existing Para	Amended Para
Minimum 50% domestic value addition will be required. Phased Manufacturing Programme similar to FAME-II Scheme will be followed. Methodology of determination of domestic value addition will be same as in FAME scheme. Testing Agency of MHI will certify domestic value addition in the eligible product.	Minimum 50% domestic value addition (DVA) will be required. Testing Agency of MHI will certify DVA in the eligible product.

[F. No. 12(11)/2020-AEI (29343)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

संशोधन

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

का.आ. 3863(अ).—भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2021 के का.आ. संख्या 3947(अ) के माध्यम से अधिसूचित ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के लिए स्कीम दिशानिर्देशों के आंशिक संशोधन में, निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी किए जा रहे हैं:-

1. पैरा '4.2.2' को संशोधित किया जाएगा और नीचे के रूप में पढ़ा जाएगा:

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। फ़ेम-II स्कीम के समान चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का पालन किया जाएगा। घरेलू मूल्यवर्धन के निर्धारण की पद्धति फ़ेम स्कीम के समान होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी पात्र उत्पाद में घरेलू	न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी पात्र उत्पाद में घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणित करेगी।

मूल्यवर्धन को प्रमाणित करेगी।	

2. पैरा '6.6' को संशोधित किया जाएगा और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
संवितरण तंत्र में अपनी एजेंसियों के माध्यम भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा से उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी वाहनों और उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी घटकों के पूर्व-अनुमोदन को शामिल किया जाएगा जैसा कि फ़ेम-II स्कीम में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इसके बाद, डेटा आधारित प्रणाली में दावों के लिए डेटा प्रस्तुत करने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू होगा।	संवितरण तंत्र अपनी परीक्षण एजेंसियों के माध्यम से भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी वाहनों और उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी घटकों के पूर्व-अनुमोदन को शामिल करेगा। इसके बाद, आवेदक स्कीम पोर्टल के माध्यम से आर्थिक प्रोत्साहन के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

[फा. सं. 12(11)/2020-एईआई (29343)]

डॉ. हनीफ़ कुरैशी, अपर सचिव

AMENDMENT

New Delhi, the 6th September, 2024

S.O. 3863(E).—In partial modification of the Scheme Guidelines for the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component Industry in India which was notified by the Ministry of Heavy Industries (MHI) vide S.O. No. 3947(E) dated 23rd September, 2021, the following amendments are made with effect from the date of its publication in the Official Gazette:-

1. Paragraph ‘4.2.2’ shall be modified and read as under:

Existing Para	Amended Para
Minimum 50% domestic value addition will be required. Phased Manufacturing Programme similar to FAME-II Scheme will be followed. Methodology of determination of domestic value addition will be same as in FAME scheme. Testing Agency of MHI will certify domestic value addition in the eligible product.	Minimum 50% domestic value addition (DVA) will be required. Testing Agency of MHI will certify DVA in the eligible product.

2. Paragraph ‘6.6’ shall be modified and read as under:

Existing Para	Amended Para
The disbursement mechanism will incorporate pre-approval of Advanced Automotive Technology vehicles & Advanced Automotive Technology components by MHI through its agencies as is being done under Phased Manufacturing Programme (PMP) in FAME-II scheme. Subsequently, there would be drop-down menu for submission of data for claims in the data driven system.	The disbursement mechanism will incorporate pre-approval of Advanced Automotive Technology vehicles & Advanced Automotive Technology components by MHI through its testing agencies. Subsequently, the applicants can submit their claim for incentive through the scheme portal.

[F. No. 12(11)/2020-AEI (29343)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.11 22:00:04 +05'30'